हरिद्वार विकास प्राधिकरण की
27 वीं बैठक दिनांक 11-12-97
की कार्यवृत्त

Scanned by CamScanner

प्रेषक

सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार ।

सेवामें,

१– श्री राम वृक्ष प्रसाद, संयुक्त सचिव, आवास उ०प्र०शासन ।	सचिव, आवास के नामित सदस्य
२– संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ ।	सचिव, वित्त विभाग के नामित सदस्य
३– सचिव उत्तराखण्ड विभाग, उ०प्र०शासन,लखनऊ ।	
४– जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ।	
५– जिला मजिस्ट्रेट देहरादनू ।	विशेष आमन्त्री
६– वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, बन्दरिया बाग उ०प्र०लखनऊ ।	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के नामित सदस्य
७– अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उ०प्र० जल निगम सहारनपुर ।	प्रबन्ध निदेशक,उ०प्र० जल निगम के
८– अधीक्षण अभियन्ता प्रथम मण्डल,लो.नि.वि.सहारनपुर ।	प्रमुख अभियन्ता,लो.नि.वि. के नामित सदस्य
९– अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद हरिद्वार ।	
१०– अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद,ऋषिकेश ।	
११– अध्यक्ष, नगरपंचायत रानीपुर, हरिद्वार ।	
१२– अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनि की रेती, टिहरी–गढ़वाल ।	
१३– श्रीमती ऊषा भारद्वाज, कृष्णानगर कनखल ।	गैर सरकारी नामित सदस्य

संख्याः प्रशा०–२(ग)– ।–६/६७ दिनांक, नवम्बर, १९९८

विषयः हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की विशेष बोर्ड बैठक दि० ११–१२–९८ की पूर्व सूचना ।

महोदय,

शासनादेश सं०–४१६७/९–आ–१–९८ आवास अनुभाग–१ लखनऊ दि० २९–१०–९८ द्वारा प्राधिकरण (अपराधों का शमन) द्वितीय संशोधन उपविधि १९९८ के अधिसूचना के प्रारूप की प्रति इस निर्देश के साथ प्राप्त हुये है कि उक्त उपविधि को प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत कर तत्काल इसे अंगीकृत/अनुमोदित कर शासन को सूचित किया जाय, ताकि इसे शीघ्रातिशीघ्र राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जा सकें ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में दि० ११–१२–९८ को अपरान्ह ४.०० बजे माननीय आयुक्त/अध्यक्ष, महोदय की अध्यक्षता में एक विशेष बोर्ड बैठक का आयोजन आयुक्त, सहारनपुर मण्डल के कार्यालय में आहुत की गयी है । अतः शासन से प्राप्त शासनादेश तथा अधिसूचना के प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि कृपया उक्त बैठक में भाग लेने का कष्ट करें ।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

S. Gupta

सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार ।

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण
टिप्पणियां एवम् आज्ञाएं

(2)

पृष्ठ संख्या-

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की बोर्ड बैठक दिनांक 11-12-98 की उपस्थिति-

क्र०सं०	नाम अधिकारी	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री सुभाष कुमार/आयुक्त सहारनपुर मण्डल-	अध्यक्ष	
2-	श्री राजकुमार सिंह, उपाध्यक्ष, ह०वि०प्रा०	उपाध्यक्ष	[signature]
3-	उमाकान्त गुप्ता, संयुक्त निदेशक, कोषागार		[signature] 11/12/98
4-	पी. के. जैन अधिशासी अभियंता जल निगम मु. नगर		[signature] 11/12/98
5-	स्वराज आर्यक	सचिव / ह. वि. प्रा.	[signature] 11/12/98
6-	उषा भारद्वाज	सदस्या ह० वि० प्रा०	उभारद्वाज 11/12/98
7-	स्नेह लता शर्मा	अध्यक्ष नगरपालिका ऋषिकेश	Sneh lata 11/12/98
8-	राजकुमार अरोड़ा	अध्यक्ष नगरपालिका परिषद हरिद्वार	[signature] 11/12/98
9-	उत्तम सिंह राणा	अध्यक्ष, नगरपंचायत मुनिकीरेती	[signature] 11/12/98
10-	वी. के. श्रीवास्तव	डी.एम. कैनाल डीविजन	[signature] 11/12/98
11-			
12-			
13-			
14-			

संख्या: 2810/9-आ-1-98

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

2. आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 1998

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन याचिका संख्या: 21552/97 के संदर्भ में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए नव विकसित कालोनियों में सीवेज, ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरण/आवास विकास परिषद, नवविकसित कालोनियों के "ले-आउट प्लान" के अनुमोदन से पूर्व कालोनी के सीवेज, ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि सीवेज/ड्रेनेज उचित ट्रीटमेंट के पश्चात ही नदियों में छोड़ा जाय। इस कार्य हेतु "सर्विसेज" का "मास्टर प्लान" जल निगम, प्राधिकरण के परामर्श व उनकी आर्थिक सहायता से बनायेंगे।

2. इसके अतिरिक्त गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियां अनुमन्य न की जाये।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या: 2810/ /9आ-1-98, तद्दिनांक।

1. प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (गंगा) एवं नोडल अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि सचिव, नगर विकास को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जल निगम को तदनुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(राजकुमार सिंह)
अनुसचिव

ST
कृ0 दि0 12/10/98 से कार्यवाही करें। ... होनी है
(हस्ताक्षर) 07/10/98

OS:
... आदेश की प्रति ... TP/EE/AE/AT तथा ... को ...
(हस्ताक्षर) 07/10/98

संख्या-320/9-आ-3-2000-127 का.म./99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

(2) आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ ।

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2000

विषय: गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किए जाने के प्रतिबन्ध को शिथिल किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2810/9-आ-1-98, दिनांक 23 सितम्बर, 1998 एवं शासनादेश संख्या-4503/9-आ-1-98, दिनांक 16 नवम्बर 1998 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों के प्रस्तर-2 में गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किये जाने का निर्णय लिया गया था । शासन द्वारा इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रतिबन्ध को धार्मिक स्थलों, आश्रम एवं सार्वजनिक सुविधाओं के हित में किये जा रहे अन्य निर्माण कार्यों के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ शिथिल कर दिया जाय :-

(1) हरित पट्टी के अनुरूप भूखण्ड के 10 प्रतिशत से अधिक भाग पर निर्माण अनुमन्य न होगा । एफ0ए0आर0 15 प्रतिशत से अधिक न होगा परन्तु यदि महायोजना में इससे कम अनुमन्य है, तो उतना ही अनुमन्य होगा ।

(2) ड्रेनेज सीधे गंगा नदी में नहीं अवमुक्त किया जायेगा, वरन् अन्य नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था की जानी होगी ।

यदि क्षेत्र में सीवेज व्यवस्था नहीं है तो निवास स्थान/धर्मशाला आदि इन प्रयोजनों में अनुमन्य नहीं की जायेगी ताकि गंगा नदी में मल न जाने पाये ।

......2/-

उपर्युक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 23-9-1998 एवं दिनांक 16-11-1998 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव ।

संख्या-320(1)/9-आ-3-2000-127 काम्प/99 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) मुख्य अभियन्ता (गंगा) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।
(2) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग ।
(3) उपाध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(जावेद एहतेशाम)
उप सचिव ।

कार्यालय हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

पत्रांक: 379 /गार्ड फाइल/2000-2001 दिनांक 15-5-2000

उपरोक्त वर्णित शासनादेश सं0-320/9-आ-3/2000-127काम्प/99 दिनांक 5-2-2000 की फोटो प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- नगर नियोजक/अधिशासी अभियंता/सहायक नगर नियोजक/समस्तअभियंतागण/मानचित्र अनुभाग/समस्त वाद लिपिक।

ह0/अप0ठ0
सचिव

Scanned by CamScanner

संख्या-124 सी0एम0/9-आ-3-2000-127 काम्म/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

§1§ उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश,

§2§ आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

§3§ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक: 31 जुलाई, 2000

विषय:- गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मी0 तक किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध को शिथिल किये जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-320/9-आ-3-2000-127 काम्म/99, दिनॉक 05 फरवरी, 2000 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा नदी तट के किनारे 200 मी0 तक लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों की पृष्ठभूमि गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने की है दूसरी ओर यह भी तथ्य है कि वाराणसी व हरिद्वार जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल गंगा के तट पर है और वहॉ गंगा नदी तथा उसके तट पर धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए मठ एवं आश्रम वहॉ की संस्कृति के अभिन्न अंग है। धार्मिक भावनाओं से जुड़े इन भवनों, जो सार्वजनिक सुविधाओं का ही एक भाग है, को पूर्णत: प्रतिबन्धित किया जाना उपयुक्त न होगा परन्तु गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए भी समुचित व्यवस्था आवश्यक होगी।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में शासनादेश दिनॉक 05 फरवरी, 2000 द्वारा पूर्व में किये गये शिथिलीकरण के स्थान पर यह निर्णय लिया गया है कि गंगा नदी के किनारे ऐसे स्थानों का जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़े है, जहॉ का स्वरूप प्रमुखत: तीर्थ है, वहॉ पर मठ-, आश्रम- मन्दिर का निर्माण कतिपय शर्तों के अधीन अनुमन्य कर दिया जाय। यह शर्तें निम्नवत होंगी:-

§1§ भू-आच्छादन 35% तथा तल क्षेत्र अनुपात §एफ0ए0आर0§ 1.5 सार्वजनिक सुविधाओं के अनुरूप ही अनुमन्य हो।

.....2/

(20) 82

§2§ आवेदक को भवन मानचित्र अनुमति के आवेदन के साथ एक योजना प्रस्तुत करनी होगी जिससे [illegible] सुनिश्चित हो कि नदी का प्रदूषण नहीं होगा।

§3§ [illegible] नदी में अवमुक्त नहीं किया जायेगा बल्कि अन्य नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था करनी होगी।

§4§ यदि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था नहीं है तो निवास स्थान/धर्मशाला आदि इन प्रयोजनों में अनुमन्य नहीं की जायेगी ताकि नदी में मल आदि [illegible] मल आदि न जाने पाये।

§5§ यह योजना पेयजल निगम/जल संस्थान अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार न पाये जाने पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

पूर्व निर्गत शासनादेश दिनाँक, 05 फरवरी, 2000 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

3/7/

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या-124 सी0एम0/§1§/9-आ-3-2000 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

§1§ मुख्य अभियन्ता §गंगा§ नोडल अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

§2§ सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

§3§ उपाध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

§ जावेद एहतेशाम §
उप सचिव।

कार्यालय, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।

पत्रांक 374/प्र0स0-2§4§-7/2000-01 दिनांक सितम्बर 2000

कार्यालय आदेश

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश सं0-124, दिनांक 31 जुलाई 2000 का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

आदेश से
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि: नगर नियोजक, अधिशासी अभियन्ता/व0वि0एवं लेखाधिकारी/स0न0नि0/समस्त सहा0अभि0/समस्त अवर अभियन्ता/संबंधित लिपिक/कार्या0अधीक्षक/गार्ड फाइल को सूचनार्थ हेतु ।

आदेश से
सचिव

(8) (1)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की २७वीं विशेष बोर्ड बैठक दिनांक-११-१२-९८ का कार्यवृत्त

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की २७वीं विशेष बोर्ड बैठक दिनांक ११-१२-९८ को अध्यक्ष/आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर की अध्यक्षता में आयुक्त, सहारनपुर के कार्यालय में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

१-	श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, सहारनपुर मण्डल	अध्यक्ष
२-	श्री राजकुमार सिंह, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
३-	श्री उमाकान्त गुप्ता, संयुक्त निदेशक कोषागार मेरठ	सचिव वित्त के नामित सदस्य
४-	श्री पी०के०जैन, अधिशासी अभियंता, जल निगम, मुजफ्फरनगर	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०जल निगम के नामित सदस्य
५-	श्रीमती ऊषा भारद्वाज	गैर सरकारी नामित सदस्य
६-	श्री राजकुमार अरोड़ा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद,हरिद्वार	पदेन सदस्य
७-	श्रीमती स्नेहलता शर्मा, अध्यक्ष,नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश	पदेन सदस्य
८-	श्री उत्तम सिंह राणा, अध्यक्ष, नगरपंचायत, मुनिकीरेती	पदेन सदस्य
९-	श्री बी०के० श्रीवास्तव, एस०डी०ओ०कैनाल, हरिद्वार	विशेष आमन्त्रित

हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। इसके उपरान्त बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

मद संख्या-२७.०१ वर्ष १९९८-९९

द्वितीय संशोधन उपविधि-९८ की प्राधिकरण(अपराधों का शमन) को अंगीकृत करने के संबंध में।

शासनादेश सं०-४१६७/९आ-१-९८ आवास-१ लखनऊ दि० २९-१०-९८ द्वारा प्राधिकरण (अपराधों का शमन) द्वितीय संशोधन उपविधि १९९८ की अधिसूचना के प्रारूप की प्रति इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई है कि उक्त उपविधि को प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत कर तत्काल इसे अंगीकृत/अनुमोदित कर शासन को सूचित किया जाये, ताकि इसे शीघ्रातिशीघ्र राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जा सके। सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को यथावत अंगीकृत कर शासन को राजकीय गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु भेजा जाय। इस मद में यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जो केस कम्पाउन्ड हो चुके हैं उन्हें पुनः रिओपेन नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त शमन संशोधन उपविधि के अन्तर्गत जन-साधारण को शासन द्वारा शमन संबंधी विशेष सुविधायें केवल एक बार अधिकतम दो माह की अवधि के लिये प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि संबंधित पक्षकारों को शमन शुल्क का स्वयं आगणन करने की सुविधा शासन द्वारा प्रदान की गयी है, जिसका लाभ आवेदकों

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

CHAIRMAN/COMMR.

Scanned by CamScanner

संख्या: 2810/9-आ-

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ०प्र० ।

2. आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 1998

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन याचिका संख्या: 21552/97 के संदर्भ में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए नव विकसित कालोनियों में सीवेज, ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरण/आवास विकास परिषद नवविकसित कालोनियों के "ले-आउट प्लान" के अनुमोदन के पूर्व कालोनी के सीवेज, ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि सीवेज/ड्रेनेज उचित ट्रीटमेन्ट के पश्चात ही नदियों में छोड़ा जाय । इस कार्य हेतु "सर्विसेज" का "मास्टर प्लान" जल निगम, प्राधिकरण के परामर्श व इनकी आर्थिक सहायता से बनायेंगे ।

2. इसके अतिरिक्त गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियां अनुमन्य न की जायें ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या: 2810/ /9आ-1-98, तद्दिनांक ।

1. प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (गंगा) एवं नोडल अधिकारी, उ०प्र० जल निगम लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2. प्रतिलिपि सचिव, नगर विकास को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जल निगम को तदनुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(राजकुमार सिंह)
अनुसचिव

विषयः— गंगा नदी तट से २००.०० मीटर तक के क्षेत्र में लम्बित मानचित्रों के निस्तारण के संबंध में।

गंगा नदी तट पर बसे शहरों में किनारे से २०० मीटर तक किसी भी प्रकार की गति विधियॉं अनुमन्य न किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या २८१०/६अ दिनाँक २३—६—६८ को जारी हुआ है जो कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण में दिनाँक ६—१०—६८ को प्राप्त हुआ है।

प्राधिकरण में पूर्व में नदी तटीय उपविधि लागू थी जिसके अनुसार गंगा नदी के १०० मीटर के क्षेत्र में ७.०० मीटर ऊचाई, ३० प्रतिशत भूआच्छादन एवम् ०.६० एफ०ए०आर० अनुमन्य था। परन्तु वर्तमान में उक्त शासनादेश के क्रम में मानचित्रों को स्वीकृति प्रदान कराना सम्भव नही हो पा रहा है। मानवीय दृष्टिकोण तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुरूप यह समीचीन होगा कि उक्त शासनादेश प्राप्त होने की तिथि से पूर्व प्राधिकरण में जमा मानचित्रों को गुण—अवगुण के आधार पर स्वीकृति हेतु विचार कर लिया जायें।

तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

द्वारा मात्र दो माह की निश्चित अवधि में ही प्राप्त किया जा सकता है। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह उपविधि वर्ष १९९९ के जनवरी तथा फरवरी माह में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सम्पूर्ण विकास क्षेत्र में प्रवृत्त की जायेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त शमन उपविधि के अन्तर्गत जो भी प्रार्थना-पत्र जनवरी तथा फरवरी १९९९ में प्राप्त होंगे तथा जो भी इस उपविधि के प्राविधानों के अन्तर्गत शमनीय होंगे, उन प्रकरणों में नियमानुसार शमन की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मद संख्या-२७.०२ वर्ष १९९८-९९

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

२७.०२.०१ **गंगा नदी तट से २००.०० मीटर तक के क्षेत्र में लम्बित मानचित्रों के निस्तारण के संबंध में।**

उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी तट पद बसे शहरों में किनारे से २०० मीटर तक किसी भी प्रकार की गति विधियां अनुमन्य न किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-२८१००/९अ दिनांक २३-९-९८ को जारी हुआ है जो कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण में दिनांक ९-१०-९८ को प्राप्त हुआ है।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि उपरोक्त शासनादेश से पूर्व प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नदी तटीय उपविधियों के अन्तर्गत गंगा नदी से १०० मीटर के क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे थे। बोर्ड द्वारा इस विषय पर गहनता से विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि दिनांक ९-१०-९८ तक प्राप्त मानचित्रों के आवेदनों को निरस्त न किया जाय बल्कि इनका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाय। ऐसे मानचित्रों का विवरण निम्नवत् है, जो ९-१०-९८ तक प्राधिकरण में प्राप्त हो चुके थे अथवा किन्हीं कारणों से इस तिथि को निर्णयार्थ लम्बित थे:-

क्र०सं०	मानचित्र संख्या	आवेदक का नाम	मानचित्र प्रस्तुत करने की तिथि
हरिद्वार क्षेत्र			
१.	२४४/९८-९९	स्वामी काशिका नन्द गिरी, महामण्डलेश्वर शिष्य नरसिंह गिरी महामण्डलेश्वर,जगजीतपुर कनखल	२-९-९८
२.	२९०/९८-९९	स्वामी शिवेन्द्र पुरी जगजीतपुर कनखल	२८-९-९८ (विकास शुल्क दि० २२-१०-९८ को जमा किया गया)
३.	३०९/९८-९९	श्री बी.के.सचदेवा	८-१०-९८

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

CHAIRMAN/COMMR

Scanned by CamScanner

शासनादेश संख्या २८१०/६-आ दिनाँक २३-६-६८ जो कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण में दिनाँक ६-१०-६८ को प्राप्त हुआ है, के परिपेक्ष्य में लम्बित भवन मानचित्रों का विवरणः-

क्र०सं०	मानचित्र संख्या	आवेदक का नाम	मानचित्र प्राप्ति की दिनाँक	विकास शुल्क सूचित करने की तिथि	विकास शुल्क जमा करने की तिथि
१	२	३	४	५	६
हरिद्वार क्षेत्र					
१.	२४४/६८-६६	स्वामी काशिका नन्द गिरी, महामण्डलेश्वर शिष्य नरसिंह गिरी महामण्डलेश्वर जगजीतपुर कनखल	२-६-६८	-	
२.	२६०/६८-६६	स्वामी शिवेन्द्र पुरी जगजीतपुर कनखल	२८-६-६८		२२-१०-६८
३.	३०६/६८-६६	श्री बी०के० सचदेवा श्रवणनाथ नगर	८-१०-६८		
४.	३३६/६८-६६	श्री प्रेमशंकर जेतली कनखल			२६-१०-६८
५.	३६/६८-६६	श्री के०एल० दुवा आनन्दोंत्सव, हरिपुर कला	५-१०-६८ (पुर्नरीक्षित मानचित्र)		
ऋषिकेश क्षेत्र					
६.	०६/६८-६६	प्रबन्धक, स्वर्गाश्रम ट्रस्ट, स्वर्गाश्रम	२३-४-६८		
७.	३७/६८-६६	मै० एस०के०जी० कन्सोलीडेटिड लि०, नीरगढ़	५-६-६८		
८.	६२/६८-६६	कोविलूर वेदान्त मण्डलयम् शीशम झाड़ी, मुनि की रेती	४-८-६८		
९.	६७/६८-६६	श्री मोहन मन्दिर आश्रम ट्रस्ट, वीरभद्र मार्ग	१८-८-६८		
१०.	८६/६८-६६	मै० नीरज क्लीनिक प्रा०लि०, वीरभद्र मार्ग,	८-१०-६८		

Scanned by CamScanner

		श्रवणनाथ नगर	
४.	३३६/६८-६६	श्री प्रेम शंकर जेतली कनखल	७-६-६८ (विकास शुल्क दि० २६-१०-६८ को जमा किया गया)
५.	३६/६८-६६	श्री के.एल.दुआ आनन्दोत्सव, हरिपुरकला	५-१०-६८ (मानचित्र पूर्व में स्वीकृत है दिनांक-५-१०-६८ को पुनरीक्षित मानचित्र जमा किया गया)

ऋषिकेश क्षेत्र

६.	०६/६८-६६	प्रबन्धक, स्वर्गाश्रम ट्रस्ट स्वर्गाश्रम	२३-४-६८
७.	३७/६८-६६	मै० एस.के.जी.कंसालिडेटेट लि० नीरगढ़	५-६-६८
८.	६२/६८-६६	कोविलूर वेदान्त मण्डलयम शीशमझाड़ी,मुनिकी रेती	४-८-६८
६.	६७/६८-६६	श्री मोहन मन्दिर आश्रम ट्रस्ट, वीरभद्र मार्ग	१८-८-६८
१०.	८६/६८-६६	मै०नीरज क्लीनिक प्रा.लि. वीरभद्र मार्ग	८-१०-६८

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मानचित्रों को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मानचित्रों के अतिरिक्त गंगा तट से २०० मीटर की परिधि में कोई भी मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

मद संख्या-२७.०२.०२

<u>प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन के संबंध में।</u>

उपरोक्त के संबंध में बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा जो अपनी योजनायें चलायी जा रही हैं, उनमें श्यामलोक व हरिलोक योजनाओं में कुछ सम्पत्तियों के निस्तारण हो जाने के पश्चात प्राधिकरण के पास अन्य कोई नयी योजना क्रियान्वित करने हेतु शेष नहीं रह जायेगी तथा आगामी वर्ष में सम्पत्तियों की अनुपलब्धता की स्थिति बन जायेगी। बोर्ड के समक्ष यह बिन्दु भी रखा गया कि सामान्यतः प्राधिकरण की बोर्ड बैठक ३ से ४ माह की अवधि में ही हो पाती है तथा यह आवश्यक है कि प्राधिकरण द्वारा कुछ और योजनाओं के लिये भूमि क्रय/अर्जन के प्रस्ताव तैयार कराये जायें। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्राधिकरण के लिये यदि कोई भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय की जाती है तो उसका अनुमोदन आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा प्रदान कर दिया जायेगा तथा भूमि क्रय के उपरान्त विस्तृत योजना का प्रारूप ही प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

V. C.
उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

CHAIRMAN/COMMR

Scanned by CamScanner

विषयः— प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विभिन्न आवासीय योजनाऐं, सौंदर्यीकरण योजनाऐं, विकास योजनाएँ आदि क्रियान्वित की जाती हैं। प्राधिकरण द्वारा इस समय कुछ नवीन आवासीय योजनाओं, रीवर फ्रंन्ट डवल्पमेन्ट, ट्रांसपोर्ट नगर तथा व्यवसायिक योजनाओं के नियोजन के संबंध में विचार किया जा रहा है। चूँकि प्राधिकरण की बैठक ३–४ माह के अन्तराल के पश्चात् ही सम्पन्न हो पाती है,तथा कई बार इस कारण से भी योजनाओं की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः इस संबंध में प्रस्ताव है कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन समय–समय पर आवश्यकतानुसार अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से करा लिया जायें।

तद्नुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

मद संख्या-२७.०२.०३

गंगा नदी तट से २०० मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियां अनुमन्य न किये जाने विषयक।

शासन द्वारा इस आशय के निर्देश जारी किये गये हैं कि गंगा नदी के तट पर बसे नगरों में किनारे से २०० मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियां अनुमन्य न की जायें। इस संदर्भ में प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि गंगा नदी व गंग नहर की सीमा के संबंध में कोई निश्चित मार्ग दर्शन उपलब्ध नहीं है। उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा नदी तटीय उपविधियां डामकोठी तक ही लागू की जाती रही हैं तथा इसके बाद डाऊनस्ट्रीम को गंग नहर माना जाता रहा है। उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त स्थिति स्पष्ट न होने के कारण २०० मीटर संबधी शासनादेश के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाई है, अतः सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण को मार्ग-दर्शन हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय तथा शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर ही गंगा नदी व नहर को परिभाषित किया जाय। शासन का निर्णय प्राप्त होने तक डामकोठी तक २०० मीटर के प्रतिबन्धों को पूर्ण रूपेण कड़ाई के साथ लागू किया जाय।

मद संख्या-२७.०२.०४

आश्रय योजना तथा भाऊराव देवरस योजना के संबंध में।

उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आश्रय योजना के अन्तर्गत ५० तथा भाऊराव देवरस योजना के अन्तर्गत २५ आवासों का लक्ष्य निर्धारित है तथा शासन द्वारा निरन्तर इन दोनों योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके कारण इन लक्ष्यों को समय से पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि पाण्डेवाला (ज्वालापुर) में नगरपालिका परिषद द्वारा आश्रय योजना के लिये भूमि उपलब्ध करायी गयी थी किन्तु अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा दिनांक २५-११-९८ को लिखित रूप में प्राधिकरण से इस स्थान पर इस योजना को क्रियान्वित न करने का आग्रह किया गया। इसी प्रकार भाऊराव देवरस योजना के अन्तर्गत शिवलोक आवासीय योजना के पास कार्य प्रारम्भ कराया गया, किन्तु इस स्थान पर स्थानीय विरोध के कारण यह कार्य नहीं कराया जा सका।

प्राधिकरण की सदस्या-श्रीमती ऊषा भारद्वाज द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त योअनायें शासन की शीर्ष प्राथमिकता की योजनायें हैं, अतः इनके संबंध में अन्यत्र भूमि का चयन करके इन योजनाओं को क्रियान्वित कराया जाय। इसी अनुक्रम में उक्त दोनों योजनाओं को प्राधिकरण की हरिलोक आवासीय योजना में समायोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इन दोनों योजनाओं हेतु हरिलोक आवासीय योजना में उपलब्ध भूमि का उपयोग इस प्रकार कर लिया जाय, जिससे योजना की ओवर-आल (over all) लागत पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा कन्वर्जन के माध्यम से आश्रय योजना व भाऊराव देवरस योजना के लक्ष्यों की पूर्ति भी हो जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विस्तृत योजना एवं संशोधित मानचित्र का अनुमोदन अध्यक्ष महोदय से प्राप्त कर लिया जाय, जिसके लिये बोर्ड द्वारा उन्हें

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

CHAIRMAN/COMMR

Scanned by CamScanner

विषयः— गंगा नदी तट से २००.०० मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियॉं अनुमन्य न किये जाने विषयक।

गंगा नदी तट पर बसे शहरों में किनारे से २०० मीटर तक किसी भी प्रकार की गति विधियॉं अनुमन्य न किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या २८१०/६अ दिनाँक २३—६—६८ को जारी हुआ है।

इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि हरिद्वार विकास क्षेत्र गंगा नदी के समान्तर एक लम्बी पतली पट्टी नुमा क्षेत्र के रूप में विकसित है। अतः हरिद्वार विकास क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर गंगा नदी के किनारे २०० मीटर के क्षेत्र में कोई भी गति विधियॉं अनुमन्य न होने की दशा में इस विकास क्षेत्र के अधिकॉंश भू—भाग पर कोई भी गतिविधि सम्पन्न करना सम्भव नही होगा। इस सन्दर्भ में कतिपय जनप्रतिनिधियों के प्रत्यावेदन प्राप्त हुये है। जिसमें उनके द्वारा यह इंगित किया गया है कि ऐसी स्थिति में नगर के बड़े हिस्से में गतिविधियॉं बन्द होने से भारी कठिनाई होगी तथा जनता में रोष उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक होगा कि हरिद्वार विकास क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुऐ शासन से इस शासनादेश के शिथलीकरण के संबंध में अनुरोध किया जाए। जिससे कि इस शासनादेश में निहित निर्देशों का पालन व्यवहारिक रूप में कराया जा सकना सम्भव हो सकें।

तद्नुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

अधिकृत किया गया। इस संबंध में विशेष रूप से यह ध्यान रखने के निर्देश प्राधिकरण के अधिकारियों को दिये गये कि हरिलोक आवासीय योजना की जो संशोधित योजना प्रस्तुत की जायेगी, उससे प्राधिकरण को किसी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं होनी चाहिये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

सचिव
सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

अध्यक्ष/मंडलायुक्त

Scanned by CamScanner

हरिश्चन्द विज्ञान पुस्तकालय की
२७ वीं बैठक दिनांक २२-१-९५
की कार्यवृत्त

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1-श्री रामवृक्ष प्रसाद, संयुक्त सचिव, आवास, उ0प्र0शासन लखनऊ।
2-संयुक्त निदेशक, कोषागार, मेरठ।
3-सचिव, उत्तराखण्ड, विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ
4-जिला मैजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
5-जिला मैजिस्ट्रेट, देहरादून।
6-वरिष्ठनियोजक, नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग, 7बन्दरिया बाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7-अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, मेरठ।
8-अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार।
9-श्रीमती ऊषा भारद्वाज, पत्नीश्री विनीत कुमार, भारद्वाज, कृष्णा नगरकनखल रोड सैन्ट्रल बैंक के सामने हरिद्वार।
10-अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, ऋषिकेश।
11-अध्यक्ष नगर पंचायत रानीपुर हरिद्वार।
12-अध्यक्ष नगर पंचायत मुनि की रेती टिहरी गढवाल।

संख्या-2620/प्रशा0-2(ग)-1-6/98-99 दिनांक 25 जनवरी, 1999

विषय- प्राधिकरण की बोर्ड बैठक संख्या-28वीं की कार्यवाही का प्रेषण।

महोदय,

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 28 वीं बोर्ड बैठक परिचालन विधि से शासनादेश संख्या-5079/9-आ-1-1998 दिनांक 15-12-98 द्वारा शमन उपविधि संशोधित प्रारूप का अनुमोदन प्रदान किया जिसकी छाया प्रति आपके अभिलेखार्थ संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
[signature] 25.1.99

(स्वराज गांगुली)
सचिव

Scanned by CamScanner

विकास प्राधिकरण(अपराधो का शमन) द्वितीय संशोधन उपविधि १९९८ के पुनः संशोधन के सम्बन्ध में।

28 वी बैठक का कार्यवृत्त

शासनादेश संख्या ४१६७/९-आ-१-९८,दिनांक २६-१०-९८ द्वारा विकास प्राधिकरण (अपराधो का शमन) द्वितीय संशोधन उपविधि १९९८ को हरिद्वार विकास प्राधिकरण की २७ वीं विशेष बोर्ड बैठक दिनांक ११-१२-९८ में अंगीकृत कर शासन को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जा चुका है तथा उक्त उपविधि दिनांक १-१-९९ से २८-२-९९ तक केवल दो माह के लिये लागू भी किया जा चुका है।

शासनादेश संख्या ५०७९/९-आ-१-१९९८,दिनांक १५-१२-९८ द्वारा उपरोक्त उपविधि में आवश्यक परिष्कार इस निर्देश के साथ प्राप्त हुये है कि प्रारूप उपविधि में वर्णित परिष्कारो का समावेश करते हुये द्वितीय संशोधन उपविधि विकास प्राधिकरण से अंगीकृत कराकर शासन को अनुमोदनार्थ एवं प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराया जाय। उक्त शासनादेश प्राधिकरण में दिनांक २३-१२-९८ को प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त उपविधि प्राधिकरण की विशेष बोर्ड बैठक दिनांक ११-१२-९८ में अंगीकृत कर लागू किया जा चुका है तथा कुछ शमन प्रार्थना पत्र स्व आंगणन के आधार पर जमा भी हो चुके है। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक पुनः आयोजित करने में समय लगने की सम्भावना को देखते हुये शासनादेश संख्या ५०७९/९-आ-१-१९९८ दिनांक १५-१२-९८ में वर्णित परिष्कारो को प्राधिकरण बोर्ड बैठक परिचालन माध्यम से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष
ह० वि० प्रा०, हरिद्वार

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, हरिद्वार

अध्यक्षा
नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश

उत्तम सिंह राणा
अध्यक्ष
नगर पंचायत मुनि-की-रेती
टिहरी गढ़वाल

जिलाधिकारी
हरिद्वार

आयुक्त
सहारनपुर मण्डल

संख्या - 5079 /9-आ-1-1998

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : दिसम्बर 15, 1998

विषयः विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) संशोधन उपविधि 1998 में आवश्यक परिष्कार ।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4167/9-आ-1-98 दिनांक 29.10.98 द्वारा जारी विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) (द्वितीय संशोधन) उपविधि, 1998 के प्रारुप पर शासन स्तर पर किए गए पुनर्विचारोपरान्त उक्त उपविधि में निम्नलिखित परिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. उपविधि के पैरा-3 (3) में (पृष्ठ-3 पर) द्वितीय पंक्ति में एफ.ए.आर. "120 से अधिक" के स्थान पर "120 या उससे अधिक" रख दिया जाए। इसी प्रकार अनुसूची (पृष्ठ-4) की प्रविष्टि संख्या 2 (ख) के अन्तर्गत "अनुमन्य एफ.ए.आर. 120 से अधिक" के स्थान पर "अनुमन्य एफ.ए.आर. 120 या उससे अधिक" रख दिया जाए।

2. उपविधि के पैरा-3(3) में (पृष्ठ-3 पर), निम्नलिखित बढ़ा दिया जाए :- "भूतल पर केवल कवर्ड पार्किंग हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त भू-आच्छादन (यदि स्टिल्ट पार्किंग के अतिरिक्त कवर्ड पार्किंग का प्राविधान किया गया है) शामिल करते हुए कुल 15 प्रतिशत भू-आच्छादन शमनीय होगा" ।

3. उपविधि के पैरा-3 (4) में (पृष्ठ-3 पर) उल्लिखित प्राविधान के स्थान पर निम्नलिखित प्राविधान रख दिया जाए:-

"ग्रुप हाऊसिंग हेतु निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल से अधिकतम 40 प्रतिशत कम क्षेत्रफल के भूखण्ड पर ग्रुप हाऊसिंग का निर्माण निर्धारित दरों पर शमनीय होगा यदि अग्निशमन सुरक्षा तथा भवन की अधिकतम ऊँचाई हेतु निर्धारित अपेक्षाएँ पूर्ण हों" ।

जिलाधिकारी हरिद्वार 30-12-98

VC HDA 299/E

सचिव

15-01-99 V.C.

AE(G)

Scanned by CamScanner